22

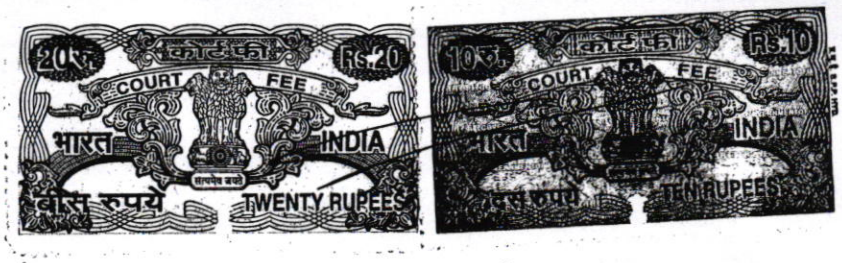

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्र.निगरानी–   /एक/18 विदिशा

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1784

रफीक खॉ आ0 नजर खॉ
निवासी ग्राम सेउ तहसील नटेरन
जिला बिदिशा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

बली मोहम्मद आ0 धन्ने खॉ उर्फ बन्ने खॉ
निवासी ग्राम सेउ तहसील नटेरन
जिला बिदिशा म0प्र0 ....अनावेदक

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक ... को पेश।

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र0 84/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 14/11/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेउ तहसील नटेरन जिला बिदिशा म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क्र0 371/1 एवं खसरा क्र0 371/2 (पुराना न0 566) कुल रकवा 1.777 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम पर दर्ज है । आवेदक कि भूमि से लगी हुई अनावेदक कि खसरा क्र0 372 (पुराना न0 568) की भूमि है। अनावेदक ने अपने स्वामित्व की भूमि के सीमांकन बावत् राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । राजस्व निरीक्षक महोदय ने सभी हितबद्ध एवं मेढ़ पड़ोसी को बिना सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही एक पक्षीय अधार पर सम्पादित करते हुए लगभग 0.71 हेक्टयर भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होने का उल्लेख किया गया था । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष अधिनियम कि धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा वास्तविक तथ्यो का उल्लेख करते आवेदक कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया। अनावेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 2004 में भी सीमांकन कराया गया था । सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक का ही कब्जा पाया गया था । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अनावेदक द्वारा दी गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर **अधिनियम कि धारा 250 (1) (1–क) (बी)** अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्र0 04/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30/04/16 के द्वारा अनावेदक कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को समयावधि बाह्य होने के आधार पर निरस्त करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी, अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने अधिनियम कि धारा 250 (1) (1–क) (बी) पर नियमानुसार विचार किये बिना ही

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1784

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण धारा-250 का है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के द्वारा सीमांकन वर्ष 2004 का उल्लेख कर पारित आदेश निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	